(19)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

12 PBR/निगरानी/मंदसौर/भू-रा/2017/2606 निगरानी प्रकरण क्रं- /17

R. M'

हिरालाल पिता भवंरलाल जाति गायरी उम्र 40 वर्ष
नि- ग्राम करजु थाना भावगढ़ जिला मंदसौर ---- आवेदक

बनाम

1 देवीलाल पिता कानजी जाति -आंजना
निवासी ग्राम करजु थाना भावगढ तह दलौदा जिला मंदसौर

2. म.प्र. शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक तह दलौदा जिला मंदसौर ---- अनावेदक

निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

विरूद्ध राजस्व निरीक्षक तह दलौदा द्वारा तैयार की गई प्रोसिडींग दिनांक 19/6/17 पंचनामा दिनांक 19/6/17 जिसके द्वारा विपक्षी हीरालाल के सर्वे नं.248/4 ग्राम करजु का सीमांकन करना बताया गया उस सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध की गई कार्यवाही का प्रकरण 35 अ12/16-17

डाक से प्राप्त 10-8-17

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्नवत प्रस्तुत है -

1 यह कि प्रार्थी की भूमि सर्वे नं.248/3 रकबा 0.387 हे.भूमि ग्राम करजु में स्थित हैं। जिसके पास ही लगी हुई विपक्षी क्रं.1 की कृषि भूमि 248/4 रकबा 0.836आरी भूमि भी ग्राम करजु में स्थित है दोनो की भूमियों के मध्य 15-20 वर्षो से एक बंबुल का बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है और पत्थर भी गाड़े हुए है और बीच में एक सेढ़ा भी है।

(20)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(19)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - PBR/नि/मंदसौर/17/2606 जिला - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31/7/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी न्यायालय तह. दलौदा के प्रकरण क्रमांक 35/अ-12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 19-6-17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर मंदसौर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	